



गंगा जल की शुद्धता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में महाकुंभ 2025 में [गंगा जल की शुद्धता](#) को लेकर संदेह दूर करने के लिये **उत्तर प्रदेश सरकार** ने एक वजिअपत्ति जारी की।

मुख्य बदि

मुद्दे के बारे में:

- **गंगा जल की शुद्धता का दावा:**
 - उत्तर प्रदेश सरकार ने एक वजिअपत्ति जारी कर एक वैज्ञानिक के हवाले से महाकुंभ में गंगा जल की शुद्धता के बारे में 'संदेह को दूर' करने का प्रयास किया और कहा कि नदी का जल '[कषारीय जल की तरह](#)' शुद्ध है।
 - उत्तर प्रदेश सरकार ने [केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड \(CPCB\)](#) के आंकड़ों के संदर्भ में यह वजिअपत्ति जारी की है, जिसमें [महाकुंभ](#) में गंगा जल की गुणवत्ता पर संदेह जताया गया था।
- **CPCB की रपिर्ट:**
 - CPCB की रपिर्ट में कहा गया था कि महाकुंभ की शुरुआत में संगम पर पानी की [जैविक ऑक्सीजन मांग \(BOD\)](#) 3.94 मलीग्राम प्रति लीटर थी।
 - 14 जनवरी को यह 2.28 मलीग्राम प्रति लीटर और 15 जनवरी को घटकर 1 मलीग्राम प्रति लीटर हो गई।
 - हालाँकि 24 जनवरी को BOD बढ़कर 4.08 मलीग्राम प्रति लीटर हो गई और 29 जनवरी को यह 3.26 मलीग्राम प्रति लीटर दर्ज की गई।
- **डॉ. अजय कुमार सोनकर का शोध:**
 - पद्मश्री डॉ. अजय कुमार सोनकर ने गंगा जल की पवित्रता को साबित करने के लिये वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ संदेह को खारजि किया।
 - उन्होंने महाकुंभ के विभिन्न प्रमुख स्नान घाटों से पानी के नमूने एकत्र किये और उनकी सूक्ष्म जाँच की।
 - उन्होंने पाया कि करोड़ों श्रद्धालुओं के स्नान के बावजूद गंगा जल में बैक्टीरिया की वृद्धि नहीं हुई।
 - पानी के [Ph स्तर](#) में भी कोई गिरावट नहीं देखी गई।
- **प्राकृतिक वायरस की उपस्थिति:**
 - गंगा जल में 1,100 प्रकार के प्राकृतिक वायरस, जिसे "[बैक्टीरियोफेज](#)" कहा जाता है, होते हैं जो हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करते हैं।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB):

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन एक सांविधिक संगठन के रूप में [जल \(प्रदूषण नविवरण एवं नियंत्रण\) अधिनियम, 1974](#) के अंतर्गत **सितंबर 1974** को किया गया।
- इसके पश्चात् केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु (प्रदूषण नविवरण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत शक्तियाँ व कार्य सौंपे गए।
- यह बोर्ड [पर्यावरण \(सुरक्षा\) अधिनियम, 1986](#) के प्रावधानों के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएँ भी उपलब्ध कराता है।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमुख कार्यों को जल (प्रदूषण नविवरण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा [वायु \(प्रदूषण नविवरण एवं नियंत्रण\) अधिनियम, 1981](#) के तहत वर्णित किया गया है।

जैविक ऑक्सीजन मांग (Biological Oxygen Demand-BOD):

- ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में [कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन](#) के लिये आवश्यक होती है, वह **BOD** कहलाती है।
- जल प्रदूषण की मात्रा को BOD के माध्यम से मापा जाता है। परंतु BOD के माध्यम से केवल जैव अपघटक का पता चलता है साथ ही यह बहुत लंबी प्रक्रिया है। इसलिये BOD को प्रदूषण मापन में प्रयोग नहीं किया जाता है।
- गौरतलब है कि उच्च स्तर के BOD का मतलब पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थों की बड़ी मात्रा को वघटित करने हेतु अत्यधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/purity-of-ganga-water>

